बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 1002। पटना, दिनांक :– 23-06-2020

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न पदों पर नवनियोजित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान के संबंधित तिथि, समय एवं योगदान स्थल की जानकारी निदेशालय के वेबसाईट www.dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। इस क्रम में दिनांक– 27.06.2020 को विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के योगदान हेतु तिथि निर्धारित है। योगदान के कार्यक्रम हेतु निम्न प्रकार से निदेश निर्गत किए जा रहे है, जिसका अनुपालन सभी संबंधित के द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

नवचयनित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के लिए निदेश

1. सभी नवचयनित पदाधिकारी को E-mail/SMS के माध्यम से नियोजन पत्र एवं उसके साथ संलग्न Terms of Assignment, Joining Document Check List & Format of Affidavit उपलब्ध करायी गयी है। उक्त निदेश का अनुपालन करते हुए वांछित कागजातों के साथ सभी पदाधिकारी योगदान करेंगे।
2. वेबसाईट पर प्रकाशित Applicants Detail Form For Personnel Management System को डाउनलोड कर मांगे गए सूचना के साथ सभी योगदान करेंगे।
3. वेबसाईट पर प्रकाशित Joining Details में अंकित तिथि एवं समय पर निर्धारित हॉल के निर्धारण टेबल पर ही सभी योगदान करेंगे।
4. सभी नवचयनित पदाधिकारी पूर्व से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनश्चित करेंगे। निर्धारित समय से पूर्व योगदान स्थल पर भीड़–भाड़ लगाना सख्त मना है।
5. योगदान के दिन मात्र नवचयनित पदाधिकारी को ही योगदान/परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
6. सभी नवचयनित पदाधिकारी मास्क लगायेंगे रहेंगे एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करेंगे। उनसे Covid- 19 के बारे में सरकार द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।
7. योगदान स्थल एवं परिसर पर नवचयनित पदाधिकारियों द्वारा साफ–सफाई का ख्याल रखा जायेगा। योगदान स्थल पर सैनेटाईजर एवं हैंड वाश का समय–समय पर उपयोग करेंगे तथा परिसर में किसी प्रकार की गन्दगी, अभद्रता अथवा दिए गए निदेशों का अनुपालन न कर अव्यवस्था फैलाने व भीड़ लगाने पर उन्हें परिसर से बाहर कर दिया जाएगा तथा उनका योगदान भी स्थगित कर दिया जाएगा।
8. योगदान स्थल पर प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग करने वाले कर्मी के साथ सहयोग करेंगे। यदि थर्मल स्कैनिंग के क्रम में किसी को बुखार आदि पाया जायेगा तो उन्हें योगदान करने से वंचित करते हुए आवश्यक चिकित्सा हेतु निर्धारित अस्पताल जाने की सलाह दिये जाने पर इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
9. योगदान के पश्चात नवनियोजित पदाधिकारियों को अगले दिन से क्षेत्र प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके लिए उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए पटना मुख्यालय में अपने व्यय पर रहना पड़ सकता है। अतः सभी नवनियोजित कर्मी योगदान के समय इस हेतु आवश्यक संसाधन के साथ तैयार होकर ही योगदान करेंगे ताकि उन्हें बाद में परेशानी न हो।

10. सभी नवनियोजित कर्मी अपने आवासन एवं भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
11. योगदान स्थल पर नवनियोजितों के लिए उनके स्वयं भुगतान के आधार पर जलपान, चाय, स्नेक्स आदि की व्यवस्था रहेगी।
12. नवचयनित पदाधिकारियों में से महिला पदाधिकारियों के लिए सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में सीमित संख्या में कमरें/बेड उपलब्ध है। अतः जिन महिला पदाधिकारियों को प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में उनके स्वयं भुगतान के आधार पर आवासन करने की इच्छा हो वे योगदान के निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व ई–मेल के माध्यम से सूचित करेंगे ताकि पहले आओ– पहले पाओ के आधार पर छात्रावास में आवासन उपलब्ध कराया जा सके। छात्रावास में उनके स्वयं के भुगतान के आधार पर भोजन/जलपान की व्यवस्था रहेगी। उल्लेखनीय है कि किसी भी परिस्थिति में छात्रावास के कमरें में नवनियोजित पदाधिकारी के अतिरिक्त उनके किसी परिजन आदि को रहने की अनुमति नहीं होगी।
13. नवचयनित पदाधिकारियों के योगदान पश्चात प्रत्येक टेबल के द्वारा उन्हें योगदान स्थल/परिसर से जाने की अनुमति मिलने पर वे अविलंब परिसर खाली कर देंगे। इन पदाधिकारियों को आगे के कार्यक्रम की सूचना वेबसाईट/ई–मेल के माध्यम से दे दी जायेगी।
14. नवचयनित पदाधिकारियों के क्षेत्रीय व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु दिनांक– 29.06.2020 से 03.07.2020 तक कार्यक्रम निर्धारित है। इन पदाधिकारियों को 9 दलों में बांटकर प्रशिक्षण समन्वयक के साथ पटना जिले के फुलवारीशरीफ एवं संपतचक अंचल में प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रत्येक निर्धारित तिथि को बेली रोड स्थित जैविक उद्यान गेट नं0–1 से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के निर्धारित बस के द्वारा इन्हें संबंधित अंचलों को ले जाने एवं वापस आने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण की समाप्ति पश्चात संबंधित जिलों में पदस्थापन का कार्य किया जायेगा। क्षेत्रीय व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षुओं को दोपहर का भोजन संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(जय सिंह) 23/6/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 1002 **पटना, दिनांक** :– 23-06-2020

प्रतिलिपि :– नवचयनित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 1002 **पटना, दिनांक** :– 23-06-2020

प्रतिलिपि :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 1002 **पटना, दिनांक** :– 23-06-2020

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, 23/6/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director\Order\File no - 82_2020_23-06-2020.doc

Employee ID

*To be filled by the office

Applicants Detail Form

(Personnel Management System)

Name -

Application ID -

Assigned Table -

Designation -

Email Id -

Mobile No. -

Aadhar No. -

Blood Group - **Gender -**

Unique Identity Mark —

Bank Details for Honorarium:

Bank Name –

Account Number –

IFS Code –

Date :- **Applicant Signature**